



महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar.msduuniversity.azamgarh@gmail.com

पत्रांक 6646/ कु0का0 / 2025

दिनांक 11/06/2025

कोटेशन आमंत्रण सूचना

विश्वविद्यालय परिसर के सुविधा केन्द्र में एक जलपान गृह एवं एक जनरल स्टोर किराए पर दिए जाने हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट <https://msdsu.ac.in> पर कोटेशन दिनांक 13.06.2025 से 19.06.2025 तक आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक कोटेशन दाता/फर्म/इच्छुक व्यक्ति विश्वविद्यालय की वेबसाइट <https://msdsu.ac.in> से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोटेशन विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय में उपलब्ध कराने की अन्तिम तिथि दिनांक 19.06.2025 05:00 pm है। उक्त तिथि के उपरान्त प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।


कुलसचिव
11.06.25

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी।
3. उप कुलसचिव।
4. सहा0 कुलसचिव।
5. प्रभारी-कम्प्यूटर सेंटर/एजेंसी, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।


कुलसचिव



महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar.msduuniversity.azamgarh@gmail.com

आवेदन करने का प्रारूप

दिनांक.....

1. फर्म का नाम.....
2. आवेदक का नाम
3. स्थानीय पता.....
4. स्थायी पता(निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
5. राष्ट्रीयता.....
6. आधार नंबर.....
7. पैन नंबर.....
8. जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन नंबर.....
9. टिन नंबर.....
10. अग्निशमन प्रमाण पत्र संख्या.....
11. श्रम प्रवर्तन विभाग संख्या.....
12. धरोहर धनराशि का विवरण.....
13. हैसियत प्रमाण पत्र.....
14. प्रस्तावित कोटेशन की दर—

क्र0स0	जलपान गृह अथवा जनरल स्टोर	कोटेशन की उल्लिखित दर रुपया प्रति वर्ग फुट

आवेदक का हस्ताक्षर—

नाम:—

दिनांक:—





महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar.msduuniversity.azamgarh@gmail.com

नियम एवं शर्तें-

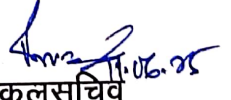
1. जनरल स्टोर एवं जलपान गृह हेतु नॉन रिफ़न्डेबल कोटेशन मूल्य रू0 1000/- विश्वविद्यालय के खाता संख्या- 50100613494552 IFSC: HDFC0007164 MSDS UNIVERSITY GENERAL ACCOUNT AZAMGARH में ऑनलाइन जमा कराना होगा तथा जमा रसीद की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. जलपान गृह की कोटेशन हेतु उ0प्र0 के खाद्य विभाग द्वारा निर्गत नवीनीकृत खाद्य लाइसेंस उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
3. जनरल स्टोर एवं जलपान गृह हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किराया रू0 15.00 प्रति वर्ग फीट की दर से अधिकतम दर का कोटेशन स्वीकार किया जाएगा।
4. जनरल स्टोर एवं जलपान गृह हेतु स्वीकृत कोटेशन के धारक को वार्षिक किराये का 10 प्रतिशत सुरक्षा राशि कोटेशन दाता द्वारा स्वीकृति के एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना होगा।
5. जनरल स्टोर एवं जलपान गृह हेतु प्रत्येक 03 वर्ष पर 15 प्रतिशत किराये में वृद्धि की जाएगी।
6. जनरल स्टोर एवं जलपान गृह हेतु प्रत्येक 10 वर्ष पर विश्वविद्यालय द्वारा किराये का निर्धारण नये रूप से किया जायेगा।
7. जनरल स्टोर एवं जलपान गृह हेतु टिन नंबर एवं जी0एस0टी0 नंबर कोटेशन प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. विश्वविद्यालय के छात्रों/अध्यापकों एवं कर्मचारियों से कुशल व्यवहार न होने अथवा प्रतिबंधित वस्तुओं एवं खाद्य पदार्थों के विक्रय पर किसी भी समय जलपान गृह एवं जनरल स्टोर खाली कराया जा सकता है।
9. समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए प्राप्त कोटेशन ही मान्य होगा।
10. चयनित फर्म/व्यक्ति को 10 दिन के अन्दर विश्वविद्यालय से अनुबन्ध कराना होगा।
11. चयनित फर्म द्वारा श्रम विभाग/पर्वतन निदेशालय की सेवा शर्तों का अनुपालन करना होगा।
12. चयनित फर्म को उपभोक्ता द्वारा विक्रय किये जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी।



महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar.msduuniversity.azamgarh@gmail.com

13. किसी भी दशा में अवैधानिक कृत्य या ऐसे पदार्थ जिसके लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता हो, जनरल स्टोर एवं जलपान गृह पर फर्म द्वारा विक्रय नहीं किया जायेगा। इस आशय का एक शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
14. श्रम कानून के अनुसार अल्पवयस्क अथवा संचारी रोगग्रस्त व्यक्ति को जनरल स्टोर एवं जलपान गृह पर कार्य हेतु नहीं लगाया जा सकेगा।
15. जनरल स्टोर एवं जलपान गृह हेतु प्रयुक्त वाहन पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
16. किराया दाता को विद्युत की व्यवस्था एवं भुगतान स्वयं करना होगा।
17. विश्वविद्यालय की किसी भी प्रकार की क्षति होने पर उसकी भरपाई किरायेदार को स्वयं करना होगा।
18. किराये पर प्राप्त भवन/भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण/बदलाव अनुमत्त नहीं है।
19. कोई नॉन-वेज सामग्री नहीं बेची जाएगी।


कुलसचिव
